

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गुल्लीदेवी


बनाम

कमलीदेवी वगै०

किरम मुकदमा वाद पत्र संख्या 242 / 2024


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
------------------------------	----------------------

24.12.2024 वादपत्र वादी की ओर से जरिए वकील अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो, पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.01.2025 को पेश हों।



उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

21/1/25

पत्रावली पेश हुई अतः तलबी सथ हार
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ
जयपुर

24/2/25 

19/02/25

पत्रावली में वादी/पार्षी ने पहिले 1500
किडो ज. पत्र पेश करने पर पत्रावली तलबी
की गई। किडो ज. पत्र पर पार्षी ने
वकील पार्षी को हुना गणक तलबी
पत्रावली का अन्तर्गत किडो ज. पत्र
किडो ज. पत्र को शाखिल जिले
किडो ज. पत्र वादी/पार्षी के किडो
पार्षीना पत्र को स्वीकार किडो ज. पत्र
है नया वाद पत्र को किडो करने की
अनुमति ही पाती है। अतः वादी के
वाद पत्र को किडो किडो पाता है।
जिले में हुना गणक तलबी
पत्रावली के तलबी हुना हुना हुना
तलबी के तलबी हुना वाद पत्र हुना
शाखिल जिले के 



उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ